RCMSDAOFF24075161

आदेश फलक

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी(गिरिडीह)

13.04.24
25.04.24
30.04.24
07.05.24
11.06.24

वाद संख्या 03/2024

12.06.2024 CLOSED ORDER PASSED

मो0 हुसैन – प्रथम पक्ष

बनाम

कुर्बान मियां वगैरह – द्वितीय पक्ष

धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही / नोटिस।

अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा वादगत भूमि से संबंधित जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संदर्भ अंचल कार्यालय, डुमरी का पत्रांक 344 दिनांक 13.03.2024 प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। प्रतिवेदन के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि – ***वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्षकारों के बीच विवाद है, जिसके कारण विधि–व्यवस्था की समस्या प्रतिवेदित किया गया है तथा द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा किया गया है।***

के कारण उभय पक्ष के बीच शांति–भंग होने की आशंका है एवं उभय पक्ष टकराव के लिए तत्पर हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में शांति–भंग, खून–खराबा तथा उपद्रव हो सकता है, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाए रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।

इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्ष के विरूद्ध धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ किया जाता है तथा उभय पक्ष को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि(आवासीय परिसर को छोड़कर) पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है साथ हीं उभय पक्ष से दिनांक 23/04/2024 को कारणपृच्छा की माँग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पुष्ट किया जाय।

वादगत भूमि का विवरण

मौजा	थाना नं.	खाता नं	प्लॉट नं.	वादगत रकबा
कोल्हुआ	61	28	362	0.29 एकड़

प्रथम पक्ष–

1. मो0 हुसैन पिताः स्व. अली मियां
साकिनः कोल्हुआ, थानाः डुमरी, जिलाः गिरिडीह।

द्वितीय पक्ष–

1. कुर्बान मियां	पिताः रोजन मियां	2. हमीद मियां	पिताः रोजन मियां
3. निजाज मियां	पिताः गफुर मियां	4. जुलेखा खातुन	पतिः कुर्बान मियां
5. जमीला खातुन	पतिः गफुर मियां	6. तजमूल अंसारी	पिताः कुर्बान मियां

सभी साकिनः कोल्हुआ, थानाः डुमरी, जिलाः गिरिडीह।

लेखापित

13/04/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

13/04/24
अनुमण्डल दण्डाधिकारी
डुमरी।

23.04.24 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दि० 30.04.24 को रखें।

23/04/24
SDM
Dumri

30.04.24 अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दि० 07.05.24 को रखें।

30/04/24
SDM
Dumri

07.05.24	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दि० 11.06.24 को रखें। (हस्ताक्षर) 7/05/24 SDM Dumri
11.06.24	अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष अनुपस्थित। दि० 12.06.24 को आदेशार्थ रखें। (हस्ताक्षर) 11/06/24 SDM Dumri
12.06.24	अभिलेख उपस्थापित। द०प्र०सं० की धारा-144(4) के तहत आज इस वाद में सुनवाई की अंतिम तिथि है। उभय पक्ष इस वाद में लगातार अनुपस्थित हैं। जिसके कारण इस वाद में उभय पक्षकारों के दावा के संबंध में जानकारी न्यायालय को प्राप्त नहीं हो सकी। विज्ञ अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार उभय पक्षकारों की भूमि अलग-अलग खाता से संबंधित है। दोनों पक्ष अपना-अपना भूमि पर काबिज हैं। उभय पक्ष की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन कार्य किया गया है एवं भूमि पर पत्थर गड़वा दिया गया है। फिर भी उभय पक्ष संतुष्ट नहीं हैं। इससे यह प्रतीत होता है कि यह मामला उभय पक्ष के बीच स्वत्व (Title) तथा बंटवारा से संबंधित है। जिसका निष्पादन करना इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। कालअवधि बाधित हो जाने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 12/06/24 — अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी। (हस्ताक्षर) 12/06/24 — अनुमण्डल पदाधिकारी, डुमरी।

Digitally signed by MOHAMMAD SHAHJAD PERWEZ
Date: 2024.09.04 18:18:36 +05:30
Location: 192.168.224.188